

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014 - 654

Dated: 19/9/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-03-75 hecter of forest land proposed to be diverted in favour of Naib Tehsildar Jalog Sub- Tehsil Jalog District Shimla for Construction of Revenue Training Center at Jalog (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla-Rural Forest Division.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-03-75 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 11
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to annexure
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (h) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA

Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)
District Collector
Shimla District (H.P.)

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 11-09-2017 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Ogli claiming rights in Village Ogli forest area(s) 0-03-75 hect. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-


Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-03-75 hect. forest area.

Place: Shimla

Date: 11-09-2017


Deputy Commissioner-Cum- Chairman

①

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT
COMMITTEE HELD ON 11-09-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF
SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

At the very outset the Addl. District Magistrate (L.&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee have been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

(Sharma)
11.9.17

(Legu) ()
11/9/2017

(Sharma)
Shakti Awasthi
DFO Theog

(Sharma) ()

(Sharma)
DFO Rohm

(Sharma)
Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

2

(Office of the Sub- Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional Committee of Shimla Rural Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/of **Sh Bhupender Kumar Attri**, SDO (Civil) Shimla Rural on **22/07/2017 at 02-00 AM/PM** at Shimla (Place) in which the applications submitted by applicants/Department of Naib-Tehsildar, Jalog, District Shimla. As discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:

S. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Right
1.	No Clame from anybody has been received	UPF Ogli	Construction of Revenue Training Centre at Sub Tehsil, Jalog area 0-03-75 Hect.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	-	-	-
2.			

OR

As informed by _____ Gram Sabha on application was received claiming rights in _____ forest area.

Place: Shimla

Date: 22/07/2017


SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

318

Annexure - II

2

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006

ग्राम सभा... आगली

विकास खण्ड... बसन्तपुर

जिला... आगली... हि0प्र0

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक... 05-02-2017

गणपूर्ति... 185/365

प्रस्ताव संख्या... (...T)...5...

विषय... Revenue Deptt. विभाग संस्था को प्रस्तावित Revenue Training Center
... के निर्माण हेतु U-13. Summa-ogli जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित...
00-03-75 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा... आगली की बैठक आज दिनांक 5-2-2017 को... 11:45...

बजे स्थान... 11:45 (आगली) में की गई जिसमें Summa-ogli जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित ...

00-03-75 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।


सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम पंचायत की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है/कर ली है तथा प्रस्तावित 00-03-75 हेक्टेयर वन भूमि को Rev. Training Center निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा... आगली की सहमति दी जाती है।

स्थान... आगली

दिनांक... 5/2/2017

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



ग्राम सभा

[Signature]

PRADHAN

GRAM PANCHAYAT
DEV. BLOCK BASANTPUR

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006

ग्राम सभा.....31/12/2016.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

पंचायत...5(3)... में श्री/श्रीमति..... की अध्यक्षता में की गई जिसमें...जंगल...(डर)...सुन्दर...जंगल... गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत...V-13 Summaogli जंगल/ वन क्षेत्र में(जिसमें.....विभाग द्वारा.....के निर्माण के लिए...50-03-75...हैक्टेयर वन भूमि प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफरिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ समस्त दस्तावेजों के अध्ययन तथा उन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित प्रस्तावित दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क्र0स0.....पात्र गांव वासी का नाम...जंगल...जंगल का नाम...Summaogli...वन अधिकार का ब्यौरा तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र0स0.....पात्र गांव वासी का नाम

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र0स0 पात्र गांव वासी का नाम

1

2

तदानुसार ग्राम सभा द्वारा इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा/सभी की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार..... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान...जंगल/ogli...

दिनांक...15/12/2016...

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

ग्राम सभा.



PRADHAN

GRAM

SECY

ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है

.....प्राजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जानी है।

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या... (5)

दिनांक... 15-12-2016

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा जलगाँव (गह.) की बैठक आज दिनांक... 15-12-2016 को... 10-45 बजे स्थान जलगाँव में श्री/श्रीमती देवी दास हिमराज की अध्यक्षता में की गई जिसमें... 7/7 गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत U-13 (Summa ogli) जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें Revenue Training Center Talog. के निर्माण के लिए 00-03-75 हेक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमती देवी दास हिमराज जंगल/वन क्षेत्र में... U-13 Summa ogli के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान... जलगाँव

दिनांक... 15-12-2016

देवी दास
ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम विकास समिति
ग्राम पंचायत जलगाँव

.....प्राजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जानी है।

6307

कार्यालय ग्राम पंचायत ओगली विकास खंड बसन्तपुर

eमेलId ogli.bpur@gmail.com

आज दिनांक 05/02/2017 को ग्राम पंचायत ओगली की ग्राम सभा बैठक प्रधान श्री मती विध्या शाण्डिल जी अध्यक्षता में आयोजित हुई ! उपस्थिति कोरम पूर्ण ¹³⁵₃₆₅ रही, निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई !

प्रस्ताव सं(10) प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर(राजस्व) जलोग के भवन निर्माण के लिए भूमि स्थान्तरित हेतु

अनापति प्रमाण पत्र बारे विचार विमर्श

उपरोक्त प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर(राजस्व) जलोग के भवन निर्माण के लिए निर्मित करने पर पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है व जिस भूमि से यह भवन का निर्माण किया जा रहा है वहां पर कोई भी श्मशानघाट, बावड़ी, धार्मिक स्थल व अन्य जलस्त्रोत आदि नहीं है अतः विभाग से अनुरोध है कि उक्त भवन के कार्य को शीघ्र आरम्भ कर पूर्ण किया जाए ताकि जनता को इस सुविधा का लाभ मिल सके ! इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ होगा ! प्रस्ताव तहसीलदार सुनी/नायब तहसीलदार जलोग व सहायक अभियंता लोक निर्माण उपमंडल जलोग जिला शिमला की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है !

प्रस्ताव सर्वमान्य व स्वीकार्य है व आगामी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है

प्रधान /सचिव ग्राम पंचायत ओगली



PRADHAN

GRAM PANCHAYAT

SECY

3/4/2017